भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1993
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

ओडिशा में बाल पोषण

1993. **श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:**
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और ओडिशा और झारखंड में, विशेषकर जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बाल मृत्यु दर और 6 से 59 माह के बीच की आयु के रक्ताल्पता से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत अधिक है, कुपोषण की दर को कम करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा जनजातीय बच्चों में कुपोषण और अविकसित विकास के समुदाय-आधारित प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल की जा रही है, यदि हां, तो उक्त राज्यों में कार्यान्वित की जा रही आईसीडीएस और आंगनवाड़ी जैसी लक्षित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उक्त राज्यों में आंगनवाडियों के माध्यम से बच्चों को प्रदान किए जाने वाले खाद्य संपूरकों और पोषण संबंधी सहायता की पर्याप्तता का आकलन किया है, यदि हां, तो किन्हीं सुधारों का ब्यौरा क्या है अथवा इसके लिए क्या नई कार्यनीतियों की योजना बनाई गई है;

(घ) उक्त राज्यों में आगामी पांच वर्षों के लिए बाल पोषण कार्यक्रमों के लिए अनुमानित निधियों के आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या सरकार की ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बाल पोषण सेवाओं में वृद्धि करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती का समाधान करने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष के) के लिए योजना को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह

एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके कार्यान्वयन और गतिविधियों के दिन-प्रतिदिन के निष्पादन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौती का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है। समुदाय-आधारित दृष्टिकोण में समुदाय में गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बच्चों का समय पर पता लगाना और उनकी जांच करना, बिना किसी चिकित्सा जटिलता वाले बच्चों का घर पर पौष्टिक, स्थानीय पौष्टिक भोजन और सहायक चिकित्सा देखभाल के साथ प्रबंधन करना शामिल है। जिन कुपोषित बच्चों में चिकित्सा जटिलताएं होती हैं, उन्हें सुविधा-आधारित देखभाल के लिए भेजा जाता है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं। इसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है तथा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस में मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर

सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

वर्ष 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चक्रों में भी पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया गया है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**ठिगनापन %**	**अल्पवजन %**	**दुबलापन %**
एनएफएचएस-1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस-2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस-3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस -5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका संबंधित समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.54 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.31 करोड़ बच्चों की वृद्धि मापदंडों पर मापी गई। इनमें से 38.9% बच्चे ठिगने, 17% बच्चे अल्प वजन के और 5.2% बच्चे दुबले पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 8.82 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं, जिनमें से 8.55 करोड़ बच्चों की कद और वजन के विकास मापदंडों पर माप की गई। इनमें से 37% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने पाए गए और 17% बच्चे (0-6 वर्ष) कम वजन के पाए गए।

उपरोक्त एनएफएचएस आंकड़ों और पोषण ट्रैकर डेटा के विश्लेषण से भारत भर में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020 में पोषण अभियान का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन और प्रभाव आकलन किया गया और पाया गया कि देश में कुपोषण से निपटने के लिए इसकी प्रासंगिकता संतोषजनक है।

एनएफएचएस 4, एनएफएचएस 5 और पोषण ट्रैकर के अनुसार ओडिशा और झारखंड में कुपोषित बच्चों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

मिशन पोषण 2.0 का कुल वित्तीय भार ₹1,81,703 करोड़ है जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए केंद्र का अंश ₹1,02,031 करोड़ और राज्य का अंश ₹79,672 करोड़ शामिल है। ओडिशा और झारखंड को जारी की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

"ओडिशा में बाल पोषण" के संबंध में श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही और श्री विद्युत बरन महतो द्वारा दिनांक 6.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1993 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

एनएफएचएस 4, एनएफएचएस 5 और पोषण ट्रैकर के अनुसार ओडिशा और झारखंड में कुपोषित बच्चों (0-5 वर्ष) का विवरण इस प्रकार है:

राज्य	**एनएफएचएस-4 (2015-16)**			**एनएफएचएस-5 (2019-21)**			**पोषण ट्रैकर (अक्टूबर, 2024)**		
	ठिगने (%)	दुबले (%)	अल्पवजन (%)	ठिगने (%)	दुबले (%)	अल्पवजन (%)	ठिगने (%)	दुबले (%)	अल्पवजन (%)
झारखंड	45.3	29.0	47.8	39.6	22.4	39.4	43.8	6.2	19.3
ओडिशा	34.1	20.4	34.4	31.0	18.1	29.7	29.1	2.9	12.8

अनुलग्नक-II

"ओडिशा में बाल पोषण" के संबंध में श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही और श्री विद्युत बरन महतो द्वारा दिनांक 6.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1993 के भाग (घ) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, वर्ष 2021-22 से अब तक ओडिशा और झारखंड राज्यों में जारी की गई कुल निधि इस प्रकार है:

वर्ष	**ओडिशा को जारी की गई निधि (करोड़ में)**	**झारखंड को जारी की गई निधि (करोड़ में)**
2021-22	1065.98	352.98
2022-23	923.92	430.91
2023-24	968.80	664.30
2024-25	665.91*	333.40*

* 20 नवंबर 2024 तक जारी की गई निधि

****